राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–लेखा/स्टोर/भौ.स./2025–26/ दिनांकः

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन–जयपुर,अजमेर,जोधपुर,भरतपुर,बीकानेर,कोटा,उदयपुर।

विषयः–भण्डार/स्टोर का भौतिक सत्यापन कर प्रमाण पत्र भिजवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग–II के नियम–12(I)के अनुसार प्रतिवर्ष भण्डार का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर परिणाम तैयार कर इसकी सूचना इन्हीं नियमों के नियम–12(IV) के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र के साथ 15 मई तक विभागाध्यक्ष को भिजवाया जाना होता है। आपके तथा आपके अधीनस्थ कार्यालयों का पिछले वर्षो का भौतिक सत्यापन कर प्रमाण पत्र भिजवाया जाना अभी तक अपेक्षित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके तथा आपके अधीनस्थ कार्यालयों का वित्तीय वर्ष 2025–26 तक का 31 मार्च 2026 तक भण्डार का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर 15 अप्रेल 2026 तक निदेशालय को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही कर प्रमाण पत्र निदेशक, निरीक्षण विभाग को भिजवाया जा सके।

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवंस्वास्थ्य सेंवायें
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–लेखा/स्टोर/भौ.स./2025–26/1830 दिनांकः 13/3/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितहैः–

1. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवायें
राजस्थान,जयपुर